

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार :  
करने या अन्यथा के लिए राज्य वन  
विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट  
सिफारिशें। (राय देते समय,  
सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप  
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी  
की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और  
विशेषतात्मक टिप्पणी दी जाय)

cf. सार्वजनिक की संस्तुति  
के आधार पर स्वीकृतार्थ  
संस्तुति की जाती है ।

दिनांक : 21/01/21  
स्थान : .....

हस्ताक्षर :   
नाम : Anupam Gupta  
मोहर : Chief Conservator of Forests/Head Office  
Forest Conservation Act, 1939  
U.P. Lucknow